<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज प्रतापगढ़</u>

राज्य उ० प्र० बनाम संतोष कुमार यादव

मु०अ०सं०-228/2026
अन्तर्गत धारा-137(2), 87 B.N.S
थाना-लालगंज, जिला प्रतापगढ़।

<u>दिनाँक-01.07.2026</u>

जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त संतोष कुमार यादव की ओर से मु०अ०सं०- 228/2026 अन्तर्गत धारा- 137(2), 87 B.N.S, थाना-लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, अभियुक्त का अपराध गंभीर, अजमानतीय है तथा सत्र परीक्षणीय है। जमानत का प्रबल विरोध है।

अतः मामले की सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संतोष कुमार यादव की ओर से मु०अ०सं०- 228/2026 अन्तर्गत धारा- 137(2), 87 B.N.S, थाना- लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(कुँवर मल्लिकार्जुन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लालगंज,प्रतापगढ़